

मध्यप्रदेश शासन  
प्रश्न संख्या 424 विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक / 1073 / 240 / सीसी / 14 / अडतीस,  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30-6-14

✓ दि.क.अ.सह आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
सतपुड़ा भवन, भोपाल।

विषय:—अनुसूचित जाति / जनजाति छात्रों की बी.एड. शुल्क की प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति राशि से करने के संबंध में।

संदर्भ:—अवर सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 4505 / सीएमएस / पीयूबी / 2014 दिनांक 07.06.14

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत बी.एड. काउंसलिंग सत्र 2014-15 के शेष चरण हेतु मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति / जनजाति के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पात्र आवेदक बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय, प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित एकमुश्त शुल्क के स्थान पर शुल्क राशि रु. 5000 /— (रु. पाँच हजार) जमा कराते हुए प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। शुल्क की शेष राशि की प्रतिपूर्ति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त होने पर छात्र द्वारा महाविद्यालय को की जावेगी। परीक्षा आवेदन से पूर्व प्रवेश शुल्क की शेष राशि जमा नहीं करने पर आवेदक को परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं होगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

R  
30/06/14  
(डॉ.आर.के.विजय)

उपसचिव

म0प्र0शासन उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक

पृ क्रमांक / 240 / सीसी / 14 / अडतीस,  
प्रतिलिपि—

1. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास म.प्र. राजीव गांधी भवन, 35, श्यामला हिल्स भोपाल।
3. निज सचिव, मा.मंत्री जी, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग शाखा-2 कृपया सीएम मानिट प्रकरण क्र. 4505 दिनांक 07.06.14 को विभागीय टर्मिनल से विलोपित करवाने का कष्ट करें।

उपसचिव

म0प्र0शासन उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय